राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

❖ **सन्दर्भ :-**

➢ हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार आतंकवाद के मामलों से निपटने के लिए 2024 तक सभी राज्यों में एनआईए की शाखाएं स्थापित करेगी।

➢ वर्तमान में, NIA की 15 शाखाएँ दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई, इंफाल, बेंगलुरु और पटना में हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी:

के विषय में: एनआईए का गठन 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2008 को किया गया था।

यह आतंकवाद, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों और अन्य अपराधों को संबोधित करता है।

एनआईए भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

सांविधिक निकाय: इसका गठन एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।

अधिदेश : यह एक केंद्रीय एजेंसी है जिसे निम्नलिखित मामलो की जांच करना अनिवार्य है -

- भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराध।
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले सभी अपराध।
- संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित वैधानिक कानूनों के तहत अपराध।

शक्ति: एजेंसी के पास ऐसे अपराधों में सम्मिलित लोगों की तलाशी लेने, उन्हें पकड़ने, गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति है।

मुख्यालय : दिल्ली

एनआईए का अधिकार क्षेत्र : इस एजेंसी का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में विस्तारित है।

यह निम्नवत पर भी लागू होता है-

- देश के बाहर भारतीय नागरिक।
- सरकार की सेवा में व्यक्ति कहीं भी तैनात हैं।
- भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों।
- ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाला अनुसूचित अपराध करते हैं।

अनुसूचित अपराध : अनुसूचित अपराध की सूची में निम्न अपराध शामिल हैं-

- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम।
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम।
- अपहरण विरोधी अधिनियम।
- नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियमों का दमन।
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम आदि।

केस लेने की प्रक्रिया:-

- राज्य सरकारें ,अनुसूचित अपराधों से संबंधित मामलों को एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार को भेज सकती हैं।
- हालाँकि यदि केंद्र सरकार की राय है कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है जिसकी अधिनियम के तहत जांच की जानी आवश्यक है, तो वह स्वप्रेरणा से एजेंसी को जांच शुरू करने का निर्देश दे सकती है।
- जहां केंद्र सरकार यह ज्ञात हो कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर एक अनुसूचित अपराध किया गया है, जहां यह अधिनियम लागू होता है, वह एनआईए को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश भी दे सकती है।

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)

❖ **सन्दर्भ**

❖ हाल ही में, भारत के केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- एआईआईबी से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की प्रतिवर्ष एक वार्षिक बैठक होती है।
- इस वर्ष की वार्षिक बैठक का विषय "सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड " था।

एआईआईबी के बारे में

- एआईआईबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका लक्ष्य एशिया और उसके बाहर सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है।

एआईआईबी को एआईआईबी आर्टिकल ऑफ़ एग्रीमेंट द्वारा (दिसंबर 2015 से लागू) द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक बहुपक्षीय संधि है।

उद्देश्य: स्थायी बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके, इसका उद्देश्य लोगों, सेवाओं और बाजारों को जोड़ना है, जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे।

मुख्यालय: इसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में है और जनवरी 2016 में इसका संचालन शुरू हुआ।

सदस्यता: अब 100 से अधिक सदस्य हैं।

वोटिंग अधिकार: चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है जिसके पास बैंक में 26.61% वोटिंग शेयर हैं, इसके बाद भारत (7.6%), रूस (6.01%) और जर्मनी (4.2%) का स्थान है। क्षेत्रीय सदस्यों के पास बैंक में कुल मतदान शक्ति का 75% हिस्सा है।

समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए)

❖ **सन्दर्भ :-**

❖ हाल ही में द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने हिंदी टीवी चैनल न्यूज18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्रमुख बिंदु :-

- हिजाब पर एक समाचार बहस को "सांप्रदायिक मुद्दे" में बदलने और दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए चैनल पर जुर्माना लगाया गया था।
- एनबीडीएसए ने माना कि यह कार्यक्रम निष्पक्षता, तटस्थता, निष्पक्षता और अच्छे स्वाद और शालीनता से संबंधित सिद्धांतों का उल्लंघन है।

एनबीडीएसए के बारे में:

- एनबीडीएसए एक स्वतंत्र निकाय है।
- यह न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) द्वारा स्थापित किया गया था, जो निजी टेलीविजन समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

सदस्य और अनुदान :

- यह पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित है।
- एनबीडीए के सदस्य के रूप में 26 समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारक (119 समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल शामिल हैं) हैं।

अध्यक्ष और अन्य सदस्य:

निकाय में एक अध्यक्ष शामिल होता है जो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होता है। अन्य सदस्यो में समाचार संपादक, और कानून, शिक्षा, साहित्य, लोक प्रशासन आदि के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को बोर्ड के बहुमत द्वारा नामित किया जाता है।

कार्य:

- एनबीडीएसए का कार्य "समाचार प्रसारण में उच्च मानकों, नैतिकता और प्रथाओं को रखना और बढ़ावा देना है।
- इन मानकों में निष्पक्षता, निष्पक्षता, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर रिपोर्ट करते समय विवेक बनाए रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में न डालने आदि पर ध्यान देने का उल्लेख है।
- प्राधिकरण स्वयं कार्यवाही शुरू कर सकता है तथा यह नोटिस जारी कर सकता है तथा यह उन सभी मामलो के सम्बन्ध में कार्रवाई कर सकता है, जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

मणिपुर की गुफा से निकाले गए चमगादड़

❖ **सन्दर्भ**

❖ पुरापाषाण काल की एक मणिपुर गुफा प्रणाली से चमगादड़ों की एक कॉलोनी बाहर निकाला गया। इस गतिविधि का उद्देश्य गुफा को पर्यटकों के अनुकूल बनाना था।

प्रमुख बिंदु

- खांगखुई, जिसे स्थानीय रूप से खांगखुई मांगसोर कहा जाता है, उखरूल जिले के मुख्यालय उखरूल से लगभग 15 किमी दूर एक प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा है।

प्रमुख मुद्दे

- अध्ययन में मणिपुर के उन स्थानों का उल्लेख किया गया है जहां "यह माना जाता है कि चमगादड़ औषधीय गुणों या प्रोटीन के पूरक

- मणिपुर के पुरातत्वविदों द्वारा की गई खुदाई से पता चला था कि यह गुफा पाषाण युगीन काल में मनुष्यों के समुदायों का निवासस्थल था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के मणिपुर और उससे सटे नागालैंड की ओर बढ़ने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा इस गुफा को आश्रय के रूप में भी प्रयोग किया गया था।
- गुफा में राइनोलोफिडे और हिप्पोसाइडरिडे परिवारों के चमगादड़ों की बड़ी संख्या में बसे हुए थे।
- गुफा प्रमुख तंगखुल समुदाय के लोककथाओं में डूबी हुई है, जिनके पूर्वजों का मानना था कि यह एक सुरक्षात्मक देवता का निवास था।

नोट: तांगखुल भारत-बर्मा सीमा क्षेत्र में रहने वाले एक प्रमुख जातीय समूह हैं, जो भारत के मणिपुर में उखरुल जिले और कामजोंग जिले और बर्मा में सोमरा पथ पहाड़ियों, लेशी टाउनशिप, होमालिन टाउनशिप और तमू टाउनशिप पर रहते हैं।

स्रोत हैं " अतः यहाँ चमगादड़ खाए जाते हैं।

- लोग कभी-कभी एक गुफा में चमगादड़ का शिकार करते हैं, हालांकि यह प्रथा पूरे राज्य में व्यापक नहीं है। इसके साथ ही अवैध अवैध पक्षी जाल के शिकार के रूप में चमगादड़ों की मौत एक और बड़ी समस्या थी।

नाविक (NavIC)

❖ **सन्दर्भ :-**

❖ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) **नाविक (NavIC)** , या भारत के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के समकक्ष में सुधार की एक श्रृंखला पर काम कर रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे स्थापित करने और इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित हों।

प्रमुख बिंदु

NavIC (भारतीय उपग्रहों के साथ नेविगेशन), या भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS), सात उपग्रहों का एक समूह है जो अमेरिकी जीपीएस, यूरोपीय गैलीलियो और रूसी ग्लोनास के समान है, और इसका उपयोग स्थान को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।

- **नियमित उपयोग में नहीं:** यदयपि यह मुख्य भूमि भारत तथा इसके चारों ओर 1,500 किमी की दूरी में उपयोग के लिए उपलब्ध है परन्तु इसे भारत में ही व्यापक रूप से नियमित उपयोग में नहीं लिया गया है। इसका मुख्य कारण है कि मोबाइल फोन को इसके संकेतों को संसाधित करने के लिए अनुकूल नहीं बनाया गया है।
- **एल1 बैंड:** एक प्रमुख आगामी परिवर्तन, एल1 बैंड को एनएवीआईसी में जोड़ना है।
- यह बैंडविड्थ जीपीएस का हिस्सा है और नागरिक नौवहन उपयोग के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। "वर्तमान में NavIC केवल L5 और S बैंड के साथ संगत है और जिससे नागरिक सहजता से प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

लंबे कोड की आवश्यकता है: वर्तमान में (NavIC) केवल संक्षिप्त कोड प्रदान करता है। इसे रणनीतिक क्षेत्र के उपयोग के लिए लांग कोड बनना होगा।

हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट

❖ **सन्दर्भ**

❖ केंद्र ने मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए जोखिम के डर से व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले जड़ी-बूटी , ग्लाइफोसेट के उपयोग को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अब से, ग्लाइफोसेट केवल कीट नियंत्रण ऑपरेटरों (पीसीओ) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- पीसीओ को कृन्तकों जैसे पीड़कों के उपचार के लिए

• चना जैसी फसलों में भी ग्लाइफोसेट के निशान पाए गए हैं जहां किसान उपज को सूखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

• जब भारत में एचटी बीटी कपास की अवैध रूप से खेती होने लगी तो ग्लाइफोसेट का उपयोग कई गुना बढ़ गया।

घातक रसायनों का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

- हालांकि आधिकारिक आदेश में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसका उद्देश्य किसानों द्वारा ग्लाइफोसेट के बड़े पैमाने पर प्रसार को रोकना है।
- भारत में चाय बागानों में ग्लाइफोसेट का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है जहां इसे शाकनाशी को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है।
- अवांछित वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए गैर-फसल क्षेत्रों पर भी रसायन का उपयोग किया जाता है।
- इनमें सिंचाई चैनल, रेलवे साइडिंग, परती भूमि, बांध, खेत की सीमा, पार्क, औद्योगिक और सैन्य परिसर, हवाई अड्डे, बिजली स्टेशन आदि के साथ के क्षेत्र सम्मिलित हैं।

• आदेश को लागू करने के लिए, कंपनियों को इसके निर्माण या बिक्री के लिए प्राप्त होने वाले रसायन के पंजीकरण के सभी प्रमाण पत्र अब पंजीकरण समिति को वापस करने होंगे।

• कुछ राज्यों में ग्लाइफोसेट पहले से ही प्रतिबंधित है।

संक्षिप्त सुर्खियां

मुल्लापेरियार बांध

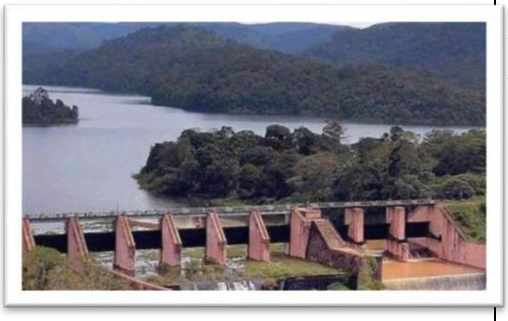

सन्दर्भ

केरल सरकार ने एक छह सदस्यीय तकनीकी समिति का निर्माण किया है। यह इडुक्की जिले में मुल्लापेरियार बांध के निचले हिस्से के लिए एक आपातकालीन कार्य योजना बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

बाँध के बारे में

- मुल्लापेरियार, 126 साल पुराना बांध, केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है।
- इसकी नींव से ऊंचाई 53.6 मीटर (176 फीट) और लंबाई 365.7 मीटर (1,200 फीट) है।
- बांध ,मुल्लायर और पेरियार नदियों के संगम पर बनाया गया है। यह बांध केरल में पेरियार नदी पर स्थित है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की आतंकवाद निरोधी बैठक

संदर्भ

UNSC की आतंकवाद निरोधी बैठक क्रमशः 28 और 29 अक्टूबर 2022 को मुंबई और दिल्ली में आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु

बैठक का विषय 'आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करना' होगा। इसका मुख्य ध्यान तेजी से विकासित हो रहे , सदस्य राज्यों द्वारा बढ़ते उपयोग और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उत्पन्न खतरे पर होगा -

- सोशल मीडिया सहित इंटरनेट,
- नई भुगतान प्रौद्योगिकियां और धन उगाहने के तरीके,
- ड्रोन सहित मानवरहित वायु प्रणालियाँ, "।

आतंकवाद विरोधी प्रयासों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों की क्षमता को पहचानने के साथ-साथ इन मुद्दों को संबोधित करने के प्रति सचेत रहना आवश्यक है।

बैठक उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए आतंकवादियों की योजनाओं की विफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करेगी।

ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर

सन्दर्भ

हाल ही में, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है।

प्रमुख बिंदु

- डीएसटी, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान (आईआईजी) ने अपने प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मैग्नेटोमीटर विकसित किया है।
- यह विश्व भर में सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक है।

महत्व :

- यह भू-चुंबकीय नमूने के लिए आवश्यक नमूने और संवेदन प्रयोगों की लागत को कम करने में सहायक होगा।
- चुंबकीय वेधशाला (एमओ) में स्थापित सेंसर भू-चुंबकीय क्षेत्र माप करने के लिए वाणिज्यिक ओवीएच मैग्नेटोमीटर पर भारत की निर्भरता को समाप्त कर सकता है।

नोट :

ओवीएच मैग्नेटोमीटर अपनी उच्च सटीकता, उच्च संवेदनशीलता और कुशल विद्युत् उपभोग के लिए जाने जाते हैं और इसलिए सम्पूर्ण विश्व तथा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सभी चुंबकीय वेधशालाओं में इनका उपयोग किया जाता है।

ऐसे उद्देश्यों के लिए अब तक भारत में इसका आयात होता था।

शक पंजा साहिब

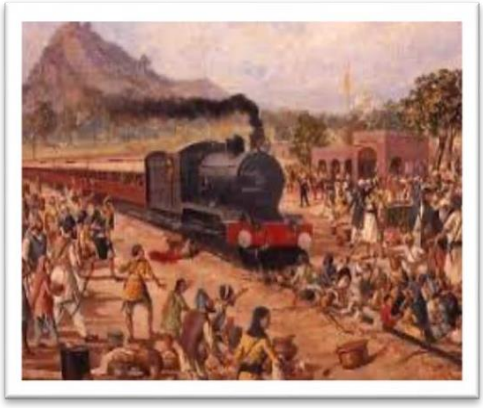

सन्दर्भ

भारत और पाकिस्तान के गुरुद्वारा प्रबंधन निकाय संयुक्त रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अटक जिले के हसन अब्दाल शहर में शहीदी शक पांजा साहिब (शहादत नरसंहार) की शताब्दी मनाएंगे।

शक पांजा साहिब के बारे में

- 30 अक्टूबर, 1922 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के तहत रेलवे अधिकारियों ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पर सिख कैदियों को अमृतसर से अटक तक ले जाने के लिए ट्रेन को रोकने से इनकार कर दिया।
- इसमें दो सिखों की मौत हो गई और महिलाओं सहित कई अन्य सिख प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पास के पंजा साहिब के सिख ,ट्रैन में सवार सिख कैदियों को लंगर (सामुदायिक रसोई भोजन) परोसना चाहते थे।
- स्टेशन मास्टर ने उन्हें बताया कि ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसके विरोध में सिखों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया।
- ट्रेन आखिरकार रुक गई, लेकिन कई सिख प्रदर्शनकारियों को कुचलने के बाद ही - सम्पूर्ण घटना के दौरान भाई करम सिंह और भाई प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तथा बाद में इनकी मृत्यु हो गई।
- तब से, इनमे दोनों सिखों को शक पंजा साहिब के शहीदों के रूप में सम्मानित किया जाता है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare